

# डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)  
श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)

1. हरिप्यारी उम्र 62 साल पत्नी ताराचन्द्र उर्फ तारा जाति मीना निवासी खानपुर मीना तह0 बाडी

## बनाम

1. हीरालाल
  2. रनसिंह
  3. लाखनसिंह
  4. इकबालसिंह
  5. उदयभान
  6. धर्मेन्द्रसिंह
  7. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी
- पुत्रगण जीवन जाति मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना तह0 बाडी
- पुत्रगण ताराचन्द्र उर्फ तारा जाति मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना

## दावा दावत

मुकदमा नं. 09/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं  
व हाजरी श्री रवि पचौरी एड0 मिनजानिव मुददई श्री जयसिंह मीना एड0  
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


1. हरप्यारी पत्नी ताराचन्द्र व इकबालसिंह, उदयभान, धर्मेन्द्रसिंह पुत्रगण ताराचन्द्र जाति मीना निवासी खानपुर मीना हि0ब0 खातेदार

ग्राम	खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
खानपुर मीणा	390	0-17	नहरी अलिफ	3.91
	1061/1	0-02	बारानी गो0	0.40
कुल किता 2 कुल रकवा		0-19		4.31

2. हीरालाल, रनसिंह, लाखनसिंह पुत्रगण जीवन जाति मीना निवासी खानपुर मीना हि0ब0 खातेदार

ग्राम	खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
पगुली	395	2-04	बारानी सोयम	2.20
कुल किता 1 कुल रकवा		2-04		2.20

ग्राम	खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
खानपुर मीणा	256	0-12	नहरी अलिफ	2.76
	1061/2	0-04	बारानी गो0	0.80
कुल किता 2 कुल रकवा		0-16		3.56

  
उपखण्डाधिकारी  
बाडी (धौलपुर) राज

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व लिखाई में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

नौज ..... मुबलिंग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... कीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... को अदा करें।  
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 06 साल 2016 को जारी की गई।

दस्तखत .....  
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

मुददर्ई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनतनामा वकील ) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बालत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील ) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

1  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

तहसील अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

उनवान

हरप्यारी

बनाम

हीरालाल

1. हरिप्यारी उम्र 62 साल पत्नी ताराचन्द्र उर्फ तारा जाति मीना निवासी खानपुर मीना तह० बाडी

वादीया :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हीरालाल
2. रनसिंह
3. लाखनसिंह

पुत्रगण जीवन जाति मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना तह० बाडी

4. इकबालसिंह
5. उदयभान
6. धर्मेन्द्रसिंह

पुत्रगण ताराचन्द्र उर्फ तारा जाति मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना

7. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादी के वकील - श्री रवि पचौरी एड०

उपस्थित प्रति० के वकील - श्री जयसिंह मीना एड०


दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा०का० अधि०

दावा सं. 09/2015

निर्णय

दिनांक :- 03.06.2016

दावा वादीगण दिनांक 11.03.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 256/0-12, 390/0-17, 1060/0-06 बांके ग्राम खानपुर मीना तह० बाडी एवं आराजी ख०नं० 395/2-04 स्थित बांके ग्राम पगुली तह० बाडी में वादीया व प्रति० के मध्य मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं हिस्सा के कृषि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी गई। तत्पश्चात पत्रावली कोर्ट कैम्प खानपुर मीणा में रखी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रेजात प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये कि वादीया एवं प्रति० सं० 4 लगा० 6 को आ०ख०नं० 390/0-17, 1060/1/0-02 बांके ग्राम खानपुर मीना व प्रति० सं० 1 लगा० 3 को आराजी ख०नं० 395/2-04 बांके ग्राम पगुली एवं 256/0-12, 1060/2/0-04 की खातेदारी में दिया जावे। तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का

  
उपखण्डाधिकारी  
बाडी (धौलपुर) राज

अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति० के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. हरप्यारी पत्नी ताराचन्द व इकबालसिंह, उदयभान, धर्मेन्द्रसिंह पुत्रगण ताराचन्द जाति मीना निवासी खानपुर मीना हि०ब० खातेदार


ग्राम	खसरा नं०	रकवा	किस्म	लगान
खानपुर मीणा	390	0-17	नहरी अलिफ	3.91
	1061/1	0-02	बारानी गो०	0.40
कुल किता 2 कुल रकवा		0-19		4.31

2. हीरालाल, रनसिंह, लाखनसिंह पुत्रगण जीवन जाति मीना निवासी खानपुर मीना हि०ब० खातेदार

ग्राम	खसरा नं०	रकवा	किस्म	लगान
पगुली	395	2-04	बारानी सोयम	2.20
कुल किता 1 कुल रकवा		2-04		2.20
खानपुर मीणा	256	0-12	नहरी अलिफ	2.76
	1061/2	0-04	बारानी गो०	0.80
कुल किता 2 कुल रकवा		0-16		3.56

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प खानपुर मीणा में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बाडी (खानपुर) राज